भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *102

जिसका उत्तर 11 दिसम्बर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

छोटे किसान

*102. श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
डॉ. सत्यपाल सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा छोटे किसानों के लिए ऋण सुविधाओं की पहुंच को सुगम बनाने के लिए लागू किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) व्यक्तियों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहलों का सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार/जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"छोटे किसान" के संबंध में श्री सुमेधानन्द सरस्वती एवं डॉ. सत्यपाल सिंह द्वारा पूछे गए 11 दिसम्बर, 2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *102 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): सरकार द्वारा छोटे किसानों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:-

(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार में कृषि के लिए विनिर्दिष्ट लक्ष्य:

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अधिदेशित लक्ष्यों के अनुसार, बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे पिछले वर्ष के समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (सीईओबीई), जो भी अधिक हो, का 18% कृषि क्षेत्र को उधार दें और इसमें से 10% छोटे तथा सीमांत किसानों (एसएमएफ) को दिया जाए।

(ii) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना:

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना भू-स्वामी किसान, काश्तकार किसानों, बटाईदार किसानों और अन्य सहित विविध श्रेणी के किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करती है। दिनांक 30.06.2023 की स्थिति के अनुसार, 8.86 लाख करोड़ रुपए की बकाया राशि के साथ कुल 7.36 करोड़ केसीसी खाते सक्रिय हैं।

(iii) ब्याज सहायता योजना:

वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान केसीसी के माध्यम से किसानों को अल्पावधि फसलों और सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान किसानों के लिए प्रयोज्य उधार दर और ब्याज सहायता की दर क्रमशः 7% और 1.5% प्रति वर्ष है।

(iv) (iii) के संबंध में, ऋणों का तत्परता से और समय पर पुनर्भुगतान करने पर किसानों को संवितरण की तिथि से एक वर्ष तक की अधिकतम अवधि के अध्यधीन **3% का अतिरिक्त त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई)** भी दिया जाता है; जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।

(v) संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण:

आरबीआई ने 7 फरवरी, 2019 के परिपत्र के माध्यम से संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए कर दी है।

(vi) उधार प्रक्रियाओं का सरलीकरण:

आरबीआई द्वारा 26 अगस्त, 2008 के परिपत्र के माध्यम से बैंकों को छोटे और सीमांत किसानों, बटाईदारों और इनके समान अन्य किसानों को 50,000 रुपए तक के लघु ऋणों के संबंध में 'अनापत्ति' प्रमाणपत्र की आवश्यकता को समाप्त करने और इसके स्थान पर भूमिहीन मजदूरों, बटाईदारों, काश्तकार किसानों और मौखिक पट्टेदारों को ऋण देने के संबंध में वैकल्पिक दस्तावेज़ या हलफनामा लेने की सलाह दी गई है।

(vii) किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ):

भारत सरकार ने वर्ष 2021 में 10,000 नए एफपीओ सृजित करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का निर्माण और संवर्धन' शीर्षक से केंद्रीय क्षेत्र की योजना का शुभारंभ किया था। नाबार्ड इन एफपीओ को उत्पादक संगठन विकास और उन्नयन कॉर्पस निधि (पीआरओडीयूसीई) और उत्पादक संगठन विकास निधि (पीओडीएफ) जैसी निधियों से सहायता प्रदान कर प्रगति करने में सहयोग कर रहा है।

(viii) संयुक्त देयता समूह:

संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) काश्तकार/भूमिहीन किसानों और गैर-कृषि मजदूरों को बिना संपार्श्विक (जैसे आस्तियां) के ऋण प्राप्त करने में सहायता करता है।

(ix) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को बुवाई-पूर्व से कटाई-पश्चात् के चरणों तक ऐसे सभी प्राकृतिक जोखिमों, जिन्हें रोका नहीं जा सकता, के विरुद्ध फसलों का व्यापक जोखिम कवर प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था।

(ख): विभाग के पास उपलब्ध सूचना निम्नानुसार है:—

i) **अटल पेंशन योजना (एपीवाई):** एपीवाई भारत में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था के दौरान पेंशन के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित हैं। दिनांक 15.11.2023 की स्थिति के अनुसार, इस योजना में कुल 29,136 करोड़ के कॉर्पस के साथ 5.93 करोड़ अभिदाता शामिल हैं।

ii) **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई):** किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान करता है। दिनांक 15.11.2023 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 18.51 करोड़ नामांकन किए गए हैं। कुल 7,16,137 दावों के संबंध में 14,322.74 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

iii) **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई):** मृत्यु/स्थायी विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है।

iv) **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम):** भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2019 में पीएम-एसवाईएम को आरंभ किया था, ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000/- रुपए की मासिक पेंशन उपलब्ध हो सके।

v) **व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस-ट्रेडर्स):** व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना वर्ष 2019 में आरंभ की गई, यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन पहल है, जिसका उद्देश्य व्यापारियों, दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000/- रुपए की सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान करना है।

vi) **ईश्रम पोर्टल:** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भी दिनांक 26.08.2021 को ईश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। ईश्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना और ऐसे कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं की सुविधा प्रदान करना है।

उपर्युक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अभिदाताओं/नामांकन का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में देखा जा सकता है।

*****

अनुबंध-I

उपर्युक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अभिदाताओं/नामांकन का राज्य-वार ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:—

राज्य	दिनांक 15.11.2023 की स्थिति के अनुसार पीएमजेजेबीवाई	दिनांक 15.11.2023 की स्थिति के अनुसार पीएमएसबीवाई	दिनांक 31.10.2023 की स्थिति के अनुसार एपीवाई	दिनांक 04.12.2023 की स्थिति के अनुसार पीएम-एसवाईएम
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	61,145	123,298	10,322	2,344
आंध्र प्रदेश	10,364,432	24,125,718	29,88,393	1,70,671
अरुणाचल प्रदेश	171,155	319,385	25,651	2,923
असम	3,557,046	9,776,219	13,78,887	40,517
बिहार	10,948,478	26,090,177	52,11,120	2,17,757
चंडीगढ़	115,772	361,643	59,081	4,348
छत्तीसगढ़	4,917,303	12,018,996	10,42,207	2,30,938
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	119,782	216,877	33,851	1,611
दिल्ली	1,989,847	5,202,987	7,53,743	10,406
गोवा	293,605	597,073	86,954	1,983
गुजरात	7,000,935	15,551,681	21,66,793	3,88,908
हरियाणा	3,466,276	8,719,613	13,13,568	8,25,158
हिमाचल प्रदेश	850,046	2,449,494	4,46,529	47,576
जम्मू और कश्मीर	675,772	1,657,689	1,79,861	74,361
झारखंड	5,054,586	11,372,567	17,05,605	1,36,068
कर्नाटक	8,471,865	18,534,623	34,47,129	1,35,145
केरल	2,003,172	8,910,820	10,96,964	15,573
लद्दाख	22,692	46,318	5,315	1,434
लक्षद्वीप	5,077	15,338	2,162	21
मध्य प्रदेश	10,777,615	28,342,910	34,14,581	1,79,447
महाराष्ट्र	12,812,279	30,003,121	53,98,764	6,07,436
मणिपुर	185,888	423,752	49,862	5,791
मेघालय	352,427	681,239	54,444	5,758
मिजोरम	237,374	378,644	18,811	1,157
नागालैंड	163,297	372,781	29,945	4,971
ओडिशा	6,303,133	16,479,788	21,27,315	1,85,574
पुदुचेरी यूटी	155,835	388,877	80,226	5,910
पंजाब	3,338,133	10,129,780	16,88,732	58,506
राजस्थान	8,517,813	20,463,128	30,90,847	1,30,055
सिक्किम	106,384	215,362	33,635	326
तमिलनाडु	7,223,941	19,132,733	39,64,841	67,454
तेलंगाना	6,313,523	14,133,537	19,26,898	42,393
त्रिपुरा	389,864	1,114,307	1,94,935	33,289
उत्तर प्रदेश	19,399,033	56,367,271	96,62,270	6,74,799
उत्तराखंड	1,190,629	4,064,684	6,59,821	39,239
पश्चिम बंगाल	9,058,877	25,360,362	44,54,592	1,12,854
अन्य*	38,456,132	35,916,806	-	-

*पूर्ववर्ती मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत नामांकन को इंगित करता है जिन्हें पीएमजेजेबीवाई या पीएमएसबीवाई योजनाओं में शामिल कर लिया गया था और जिन्हें ग्रामीण सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों द्वारा नामांकित किया गया था।

सोनीपत निर्वाचन क्षेत्र में उपर्युक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत संचयी नामांकन का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

निर्वाचन क्षेत्र	जिला	15.11.2023 की स्थिति के अनुसार पीएमजेजेबीवाई	15.11.2023 की स्थिति के अनुसार पीएमएसबीवाई	05.12.2023 की स्थिति के अनुसार पीएम-एसवाईएम
सोनीपत	जींद	1,46,384	3,34,543	58,624
	सोनीपत	1,83,375	4,93,366	34,046
सोनीपत निर्वाचन क्षेत्र का कुल योग		3,29,759	8,27,909	92,670

****